भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *14.
दिनांक 02.02.2021/ 13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

†*14. श्री अब्दुल खालेकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिजन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा वर्ष 2019 एवं 2020 के दौरान स्टेट कॉ- ऑर्डिनेटर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स, असम को भेजे गये विभिन्न पत्रों एवं अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटिजन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किये गये अंतिम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स, असम को अधिसूचित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो 31 अगस्त, 2019 को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स, असम की अंतिम सूची के प्रकाशन के बावजूद नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण तथा राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 की अनुसूची के खंड 7 के अंतर्गत नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स, असम की अंतिम सूची को अधिसूचित न कर पाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लो.स.ता.प्र.सं. 14</u>

'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' के संबंध में दिनांक 02 फरवरी, 2021 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *14 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): दावों और आपत्तियों के निपटान, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी)) में शामिल किए गए और शामिल न किए गए व्यक्तियों की सूची के प्रकाशन आदि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), असम के राज्य समन्वयक को कई पत्र और निर्देश भेजे गए हैं। लंबित कार्यों को स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार पूरा करने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना निर्धारित समय सीमा के भीतर करने के लिए भी पत्र जारी किए गए थे।

(ख) से (घ): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य समन्वयक को आधार डेटा के लिए प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था के समान उचित सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है तथा उसके बाद ही शामिल किए गए और शामिल न किए गए व्यक्तियों की सूची राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारत के महारजिस्ट्रार को उपलब्ध कराई जाएगी।

****